



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/157/17

बउनवान

1. श्रीमति मग्गो उर्फ मन्जो स्त्री सीताराम जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर

— वादी

बनाम

1. किस्तूरी स्त्री शिवसिंह जाति गूजर निवासी कासगंज दुघाटी तह0 कठूमर
2. दौलतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी खौंखर तह0 कठूमर
3. लालसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी खौंखर तह0 कठूमर
4. भीखाराम पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर
5. छोटेलाल पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर
6. बनैसिंह पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर
7. पंजाब नेशनल बैंक खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक खेरली तह0 कठूमर
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा खेरली तह0 कठूमर
9. तहसीलदार कठूमर वहाँसियत लैण्ड होल्डर

— प्रतिवादीगण

एवं

राजस्व वाद संख्या 1/201/17

1. किस्तूरी स्त्री शिवसिंह जाति गुर्जर निवासी बासदुघाटी तह0 कठूमर

— वादी

बनाम

1. मग्गो पत्नी सीताराम जाति गुर्जर निवासी खेडाकल्याणपुर तह0 कठूमर
2. दौलतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी खौंखर तह0 कठूमर
3. लालसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत निवासी खौंखर तह0 कठूमर
4. भीखाराम पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर
5. छोटेलाल पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर
6. बनैसिंह पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तह0 कठूमर
7. उप पंजीयक कठूमर
8. पीएनबी शाखा खेरली जिला अलवर
9. भारतीय स्टेट बैंक शाखा खेरली जिला अलवर

cmr

10. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी व मशवरे

उपस्थित :

श्री भागचन्द जैन :- अधिवक्ता वादी

श्री सुनील कुमार अवस्थी :- अधिवक्ता प्रतिवादी

श्री सत्येन्द्र चौधरी :- अधिवक्ता प्रतिवादी

**निर्णय**

**दिनांक 19.06.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 11/249 रकवा 3.04 हे० वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में स्थित है विवादित आराजी में वादीया को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 लगा० 6 का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादी विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। अतः वादी ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने भी एक अन्य वाद बउनवान किस्तूरी बनाम मग्गो बाबत दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 11/249 रकवा 3.04 हे० वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में स्थित है जिसमें वादीया का 1/6 हिस्सा है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 6 का है। उक्त आराजी संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वकुलान/फरीकेन उपस्थित हुये। वकुलान/फरीकेन ने दोनों दावो के खसरा नम्बर एवं अनुतोष एवं पक्षकार समान होने के कारण समायोजन करने का निवेदन किया। जिसे स्वीकार कर, बउनवान किस्तूरी बनाम मग्गो (1/201/17) का समायोजन बउनवान मग्गो बनाम किस्तूरी(1/157/17) के साथ किया गया।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 वाके ग्राम दुघाटी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

*cmef*

पत्रावली कोर्ट कैम्प में पेश हुई। वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी वहस में अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर दिया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 में विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जे काशत का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन व विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

### आदेश


अतः दावा वादीगण वावत आराजी खसरा नम्बर 11/249 रकवा 3.04 हे0 का हिस्सेनुसार वाके ग्राम दुघाटी प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुँच कर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक रिकोर्ड(हिस्सा जमाबन्दी) एवं कब्जाकास्त विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी नियमानुसार तकासमा ( विभाजन प्रस्ताव ) तैयार कर न्यायालय में पेश करें। ताकि वाद अंतिम रूप डिकी किया जा सके।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

आज दिनांक 19.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/157/17

वउनवान

1. श्रीमति मग्गो उर्फ मंजो पत्नी सीताराम जाति गूजर निवासी मगरख्या  
तहसील कठूमर

— वादिया

बनाम

1. किस्तूरी पत्नी शिवसिंह जाति गूजर निवासी कासगंज दुघाटी
2. दौलतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
3. लालसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
4. भीखाराम पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
5. छोटेलाल पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
6. बनैसिंह पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या  
तहसील कठूमर जिला अलवर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक
9. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लेण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

एवं

राजस्व वाद संख्या 1/201/17

1. किस्तूरी पत्नी शिवसिंह जाति गुर्जर निवासी बास दुघाटी तहसील कठूमर  
वादिया

बनाम

*Handwritten signature*

1. मग्गो पत्नी सीताराम जाति गुर्जर निवासी खैडाकल्याणपुर
2. दौलतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
3. लालसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
4. भीखाराम पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
5. छोटेलाल पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
6. बनैसिंह पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
7. उप पंजीयक कटूमर  
तहसील कटूमर जिला अलवर
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक
9. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक
10. तहसीलदार कटूमर वहैसियत लेण्ड होल्डर

### प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुकमइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री भागचन्द जैन— अधिवक्ता वादी मग्गो

श्री सुनील कुमार शर्मा

श्री सत्येन्द्र चौधरी — अधिवक्ता प्रतिवादी किस्तूरी वगैरा

### निर्णय

दिनांक 28.06.2018

वादिया मग्गो द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 11/249 रकवा 3.04 हे. ग्राम दुघाटी तहसील कटूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादिया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादिया विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहती है वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया।

वादिया किस्तूरी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 11/249 रकवा 3.04 हे. ग्राम दुघाटी तहसील कटूमर में स्थित है। उक्त आराजी वादिया एवं

*end*

प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो अवट है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। वादिया विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहती है वादिया ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता हाजिर अदालत हुये।

दोनों दावे तकसीम के हैं तथा वाद पत्रों में समान पक्षकार व समान आराजी है पक्षकारान के निवेदन पर प्रकरण संख्या 1/20/17 वउनवान किस्तूरी बनाम मगो वगैरा को वउनवान मगो बनाम किस्तूरी वगैरा प्रकरण संख्या 157/17 में कन्सोलिडेट किया जाकर पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर व विद्वान उभय पक्षकारान की वहस पर मनन कर दावा वादिया दिनांक 19.06.2018 को प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर से विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट तलव की गयी।


निर्णय की पालना में तहसीलदार कठूमर द्वारा हाजिर अदालत होकर अपनी कुरेजात रिपोर्ट पेश की है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने कुरेजात रिपोर्ट सहमति से पुनः तलव करने का निवेदन किया। कुरेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान को सुना गया। दोनों पक्षो की सहमति होना आवश्यक नहीं है। कुरेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर विधिनुसार पाई गयी। अतः कुरेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण की आपत्ति खारिज की जाकर दावा वादिया मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

### आदेश

अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 11/249/2 तर्फ दक्षिण पूर्व मगो पत्नी सीताराम कौम गूजर निवासी खैडाकलयाणपुरा को खसरा नम्बर 11/249/1 तर्फ उत्तर पूर्व रकवा 0.51 हे. किस्तूरी पत्नी शिवसिंह जाति गूजर व खसरा नम्बर 11/249 तर्फ पश्चिम रकवा 2.02 हे. दौलतसिंह, लालसिंह पि० दीपसिंह राजपूत सा० खौंखर हिस्सा 1/2 भीखाराम, छोटेलाल बनैसिंह पि० किशनसिंह गूजर सा० मगरख्या हिस्सा 1/2 वाके ग्राम दुघाटी तकसीम में दिया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलग अलग

*Handwritten signature*


खातेदारी व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे व मिन नम्बरों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय की एक प्रति वउनवान किस्तूरी बनाम मग्गो वगैरा वाद संख्या 1/201/17 में संलग्न की जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(कनिष्क सैनी) 16/06/2018

उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

आज दिनांक 20.06.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

  
28/06/2018

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर (अलवर)

पर्चा डिकी  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर ( राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/157/17

बउनवान

1. श्रीमति मगो उर्फ मंजो पत्नी सीताराम जाति गूजर निवासी मगरख्या तहसील कठूमर  
— डिकीदार

बनाम

1. किस्तूरी पत्नी शिवसिंह जाति गूजर निवासी कासगंज दुघाटी
2. दौलतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
3. लालसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
4. भीखाराम पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
5. छोटेलाल पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
6. बनैसिंह पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या तहसील कठूमर जिला अलवर
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक
8. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक
9. तहसीलदार कठूमर वहाँसियत लेण्ड होल्डर

मदयूनान

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

एवं

राजस्व वाद संख्या 1/201/17

1. किस्तूरी पत्नी शिवसिंह जाति गुर्जर निवासी बास दुघाटी तहसील कठूमर

वादिया

बनाम

1. मगो पत्नी सीताराम जाति गुर्जर निवासी खैडाकल्याणपुर

*and*

2. दौलतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
3. लालसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी खौंखर
4. भीखाराम पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
5. छोटेलाल पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
6. बनैसिंह पुत्र किसनसिंह जाति गूजर निवासी मगरख्या
7. उप पंजीयक कटूमर  
तहसील कटूमर जिला अलवर
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खेरली जरिये शाखा प्रबन्धक
9. भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक
10. तहसीलदार कटूमर वहैसियत लेण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कटूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 11/249/2 तर्फ दक्षिण पूर्व मगो पत्नी सीताराम कौम गूजर निवासी खैडाकलयाणपुरा को खसरा नम्बर 11/249/1 तर्फ उत्तर पूर्व रकवा 0.51 हे. किस्तूरी पत्नी शिवसिंह जाति गूजर व खसरा नम्बर 11/249 तर्फ पश्चिम रकवा 2.02 हे. दौलतसिंह, लालसिंह पि० दीपसिंह राजपूत सा० खौंखर हिस्सा 1/2 भीखाराम, छोटेलाल बनैसिंह पि० किसनसिंह गूजर सा० मगरख्या हिस्सा 1/2 वाके ग्राम दुघाटी तकसीम में दिये जाते है। तहसीलदार कटूमर का आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खातेदारी व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे व मिन नम्बरों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में नवीन संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। विभाजित खसरे के बटे नम्बरों को भू-राजस्व नियमानुसार परिवर्तित कर अमल करें।

आज दिनांक 20.06.2018 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

(कनिष्क सैनी)

उपखण्ड अधिकारी कटूमर